संख्या- 28/2018/आ0मि0-181/96-आयुष-2-2018-08(बी)/2018

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवाएं,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष् अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष् 2015-16 में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 6443.911 लाख के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश रू0 249.091 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-28/2018/आ0मि0-64/96-आयुष-2-2018-08(बी)/2018 दिनांक, 16 मार्च, 2018 के आंशित संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2018 के विषय में "वित्तीय वर्ष् 2015-16 में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 6443.911 लाख के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश रू0 249.091 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में" के स्थान पर "वित्तीय वर्ष् 2015-16 में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी की कार्य योजना की अवशेष केन्द्रांश रू0 249.091 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में" पढा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2018 के प्रथम प्रस्तर में वित्तीय वर्ष 2015-16 अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए प्राविधानित कुल धनराशि रू0 644391100/- (रूपया चौसठ करोड़ तैतालिस लाख इक्कानव्वे हजार एक सौ मात्र) के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश रू0 24909100/- (रूपया दो करोड़ उन्चास लाख नौ हजार एक सौ मात्र) के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2015-16 की स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अवशेष केन्द्रांश रू0 24909100/- (रूपया दो करोड़ उन्चास लाख नौ हजार एक सौ मात्र) पढा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2 में वित्तीय वर्ष 2015-16 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2017-18 पढा जाय।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त शासनादेश संख्या-28/2018/आ0मि0-64/96-आयुष-2-2018-08(बी)/2018 दिनांक, 16 मार्च, 2018 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या- 28(1)/2018/आ0मि0-181(1)/96-आयुष-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त् (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त् संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।